

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री रागदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 29/2023

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

बादरा पुत्र तेजा जातियान कुम्हार निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. गोपाराम पुत्र मूलाराम 2. छगनलाल पुत्र मूलाराम 3. बगदाराम पुत्र मूलाराम 4. मोडीदेवी पत्नि मूलाराम 5. जामता पुत्र तेजा 6. रूपा पुत्र तेजा 7. राणा पुत्र तेजा जातियान कुम्हार निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 8. लीलादेवी पत्नि खीमाराम जाति कलबी निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 9. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दाखां जिला बालोतरा 10. तहसीलदार सिणधरी
---	--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री भवरलाल सारण, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 10 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 23/05/2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि खेत खसरा संख्या 211/1 रकबा 7.8069 हैक्टेयर खसरा संख्या 4 रकबा 3.1147 हैक्टेयर कुल रकबा 10.9216 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 211/1 रकबा 4.2473 हैक्टेयर मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 23.05.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार


तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काशत अनुसार बाई मिटस एण्ड बालुम्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक छिन्की अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 208/1 रकबा 7.8069 हैक्टेयर खसरा संख्या 4 रकबा 3.1147 हैक्टेयर कुल रकबा 10.9216 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 211/1 रकबा 4.2473 हैक्टेयर मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	बादराराम पुत्र श्री तेजाराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार रहन-SBI शाखा दाखां।	धनवा	208/1	1.5614	बा.सोयम	0.12	हरा
			4	0.6165	बा.सोयम	0.05	
			211/1	0.8316	बो.दोयम	0.13	
	योग		3.0095				
2	गोपाराम 1/4 छगनलाल 1/4 बगदाराम 1/4 पि. मूलाराम मोडी देवी पत्नि मूलाराम 1/4 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार।	धनवा	4	0.6165	बा. सोयम	0.05	लाल
			211/1	2.3930	बा. दोयम	0.38	
			योग	3.0095			
3	जामताराम 1/3 रुपाराम 1/3 राणाराम 1/3 पि. तेजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार। रहन-जामताराम रुपाराम का हि. SBI शाखा दाखां।	धनवा	208/1	6.2455	बा.सोयम	0.50	नारंगी
			4	1.8495	बा.सोयम	0.15	
			योग	8.0950			
4	जामताराम 35/115 रुपाराम 36/115 राणाराम 36/115 पि. तेजाराम जाति कुम्हार सीलादेवी पत्नि खीमाराम 8/115 जाति कलबी सा.देह खातेदार। रहन-जामताराम, रुपाराम का हि. SBI शाखा दाखां।	धनवा	211/1	0.8690	बा.दोयम	0.14	आसमानी
			211/1	0.0647	बा.दोयम	0.01	
			योग	0.9337			
5	सम्पूर्ण खातेदार यथावत् जमाबंदी खाता सं.184	धनवा	4	0.0322	बा.सोयम	0.00	चमकीला पीला
6	सम्पूर्ण खातेदार यथावत् जमाबंदी खाता सं. 382	धनवा	211/1	0.0890	बा.दोयम	0.02	पीला

तहसीलदार सिणघरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में शिवात रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पचा मुर्तेब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणघरी

निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणघरी

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:- श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बादरा पुत्र तेजा जातियान कुम्हार निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		<ol style="list-style-type: none"> गोपाराम पुत्र मूलाराम छगनलाल पुत्र मूलाराम बगदाराम पुत्र मूलाराम मोडीदेवी पत्नि मूलाराम जामता पुत्र तेजा रूपा पुत्र तेजा राणा पुत्र तेजा जातियान कुम्हार निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा लीलादेवी पत्नि खीमाराम जाति कलबी निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दाखां जिला बालोतरा तहसीलदार सिणधरी


दावा बाबत:- 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 29/2024

निर्णय दिनांक :- 04.12.2025

वादीगण की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 से 4 की ओर से श्री अर्जुनराम प्रजापत अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं. 10 की ओर राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.12.2025 को श्री समदर सिंह भाटी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 04.12.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 04.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2 अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3 प्लीडर की फीस	
4 _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		4 साक्षियों के लिए निर्वाह खर्च	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-खर्च		5 आदेशिका की तामील	
6 कम्पिन्टर की फीस		6 कम्पिन्टर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	